

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी- श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 49/2016

बउनवान

प्रहलाद पुत्र श्री रंगलाल जाति-मीणा निवासी-बराना  
तहसील-बारां जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)  
(रेस्पॉडेंट)



निर्णय दिनांक - 06.03.2019

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 12.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-बराना, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 130, 131 कुल रकबा 0.80 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 400/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का पश्चात्पूर्वी अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व इससे पूर्व कब बेदखल किया गया उसका कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत एवं परफोर्मा पर आधारित होने से निरस्त योग्य है। यह अपीलांट के खेत की लगवां भूमि खाली पड़ी हुई है जिसपर अतिक्रमण बताया है, जो उसने जानबूझकर नहीं किया है। वर्तमान में भूमि खाली छोड़ रखी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को धारते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

पश्चात्पूर्वी अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व इससे पूर्व कब प्रार्थी को बेदखल किया उसका कोई

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। अपने कथन के समर्थन में हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट मय फर्द पेश की। साथ ही कथन किया कि अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1008/13 निर्णय दिनांक 26.12.2013 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1008/13 निर्णय दिनांक 26.12.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारा द्वारा प्रकरण संख्या 369/14 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2019 को सरे सजाया जाकर सुनाया गया।



राव)  
जिला कलेक्टर, बारा  
सत्यमेव जयते  
बारा (राज.)

Web Copy - Not Official